

{नियम 82 (1)}

निर्मुक्त सह पुनःस्थापन आदेश

बालक/बालिका का नाम..... पुत्र/पुत्रीश्री..... निवासी..... प्रकरण सं./प्रोफाइल सं. जिसे किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा के तहत बाल न्याय बोर्ड /बाल न्यायालय/बाल कल्याण समिति द्वारा दिनांक को की अवधि के लिए संप्रेषण गृह/सुरक्षित स्थल/विशेष गृह/ बाल गृह में रखे जाने के आदेश दिए थे और जो अब संस्था मेंस्थान पर है, को निदेश दिए जाते हैं कि उसके प्रवास की शेष अवधि के दौरान के कारण से उक्त.....संस्था और पर्यवेक्षणतथा प्राधिकार से विमुक्त किया जाए.

यह आदेश यहां नीचे वर्णित शर्तों के अधीन दिया जाता है और जिसका किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा.

तारीख :

हस्ताक्षर

किशोर न्याय बोर्ड /बाल न्यायालय /बाल कल्याण समिति

स्थान:

शर्तें :

1. निर्मुक्त व्यक्ति को प्रस्थान करेगा और बाल गृह अथवा उपयुक्त सुविधा संप्रेषण गृह में नजरबंदी /विशेष गृह /सुरक्षित स्थल में उसके प्रवास की अवधि की अवधि के समाप्त होने तकके पर्यवेक्षण और प्राधिकार में तब तक रहेगा जब तक माफी को शीघ्रता से से निरस्त नहीं कर दिया जाता है.
2. वह..... की सहमति के बिना उस स्थान अन्य किसी स्थान , जो उक्त के द्वारा नामक हो सकता है, स्वयं को अलग नहीं करेगा

3. वह समय पाबंदी और विद्यालय / किसी कार्य / व्यवसाय में नियमित उपस्थिति के बारे में या अन्य प्रकार के उक्त.....से प्राप्त हुए ऐसे अनुदेश का पालन करेगा.

4. वह किसी अपराध में शामिल नहीं रहेगा और वह..... की संतुष्टि के अनुरूप संयमी और मेहनती जिंदगी बिताएगा.

6. उपरोक्त किसी शर्त के भंग हो जाने की स्थिति में इसके द्वारा प्रदान की गई संस्थान में प्रवास की अवधि की माफी की उक्त शर्त निरस्त कर दी जाएगी और ऐसे निरस्त किए जाने से उस पर किशोर न्याय (बालक की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 97 के तहत कार्रवाई की जाएगी

मैं इसके द्वारा अभिस्वीकृति देता हूं कि मैं उपरोक्त शर्तों से अवगत हूं और उन शर्तों को पढ़ा गया और मुझे स्पष्ट किया गया है तथा मैं उनको स्वीकार करता हूं.

निर्मुक्त बालक के हस्ताक्षर / चिन्ह

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तें (बालक का नाम) के सामने पढ़ी गईं और स्पष्ट की गईं और कि वह उन शर्तों को स्वीकार करता/करती है जिन पर उसका /उसकी निर्मुक्त उन्मोचित हो सकती है.

तदनुसार प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालतारीख.....को विनिर्मुक्त कर दिया गया है.

प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी अर्थात् संस्था के प्रभारी व्यक्ति

के हस्ताक्षर और पदनाम